भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1355
03 दिसंबर, 2024 को उत्तर के लिए

मत्स्य क्षेत्र हेतु अवसंरचनात्मक सहायता

1355. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल के पारंपरिक मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय में अस्थिर वृद्धि हुई है और यदि हां, तो राज्य में मछुआरों के लिए आय में स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केरल में मछली उत्पादन में वर्ष 2015-16 में 7.27 लाख टन से वर्ष 2019-20 में 6.8 लाख टन तक की गिरावट का ब्यौरा क्या है तथा राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या पहले की गई हैं;

(ग) केरल में मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन और समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट से निपटने के लिए किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है,

(घ) केरल की पारंपरिक और आधुनिक, दोनों प्रकार की मत्स्य पालन प्रथाओं में सहायता प्रदान करने के लिये अवसंरचना संबंधी बाधाओं को दूर करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण प्रदूषण जैसी उभरती चुनौतियों के प्रति केरल में मछुआरों की संवेदनशीलता को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मछुआरों की आजीविका को मजबूत करने पर मुख्य बल देते हुए मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में कई पहल कर रहा है। प्रमुख पहलों में 2015-16 से 2019-20 के दौरान लागू की गई नीली क्रांति योजना, मात्स्यिकी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) का प्रावधान और मात्स्यिकी में रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मात्स्यिकी एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) शामिल है।

2020 में, भारत सरकार ने मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 20050 करोड़ रुपए के कुल निवेश पर एक प्रमुख योजना – प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मंजूरी दी, जिसका कार्यान्वयन केरल सहित भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 (पांच) वर्षों की अवधि के लिए किया जा रहा है । पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वित्त वर्ष (2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल सरकार के 1181.10 करोड़ रुपए के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अनुमोदित गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने वाली गतिविधियां शामिल हैं, जैसे ब्रूड बैंक, हैचरी, ग्रो आउट तालाब, खारे पानी की जलकृषि, ओर्नामेंटल फिश रेयरिंग यूनिट्स, मौजूदा फिशिंग वेसेल्स का अपग्रेड़ेशन, डीप-सी फिशिंग वेसेल्स, उच्च तकनीक वाली जलकृषि गतिविधियां जैसे केज कल्चर, रिसर्कुलेटरी एक्काकल्चर सिस्टम (आरएएस), बायोफ्लोक कल्चर यूनिट्स, पेन-कल्चर यूनिट्स, बाइवाल्व कल्टीवेशन, जलाशयों का एकीकृत विकास आदि।

केरल सरकार ने बताया है कि विगत कुछ वर्षों में केरल में मछुआरों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और 2020-21 से 2022-23 तक आय में वृद्धि का रुझान देखने को मिल रहा है। 2015-16 के दौरान केरल का मत्स्य उत्पादन 7.27 लाख टन था और 2019-20 के दौरान यह 6.8 लाख टन तक पहुँच गया। केंद्र और राज्य सरकारों की रणनीतिक पहलों के कारण 2022-23 के दौरान केरल में मत्स्य उत्पादन बढ़कर 9.21 लाख टन हो गया है। इन पहलों ने राज्य में मछुआरों की आय में स्थिर वृद्धि और इस क्षेत्र के समग्र विकास को भी सुनिश्चित किया है।

(ग) : मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार मात्स्यिकी के स्थायी (सस्टेनेबल) प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध है और जलवायु परिवर्तन तथा प्लास्टिक कूड़े के पर्यावरणीय प्रभावों के समाधान पर विशेष जोर देता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार के तत्वावधान में मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थाएं मात्स्यिकी और जलीय कृषि की सस्टेनेबिलिटी के लिए क्लाइमेट रेसिलिएंट रणनीति विकसित करने हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए नियमित अनुसंधान कर रहे हैं। मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (आईएमओ)-फूड एंड एग्रिकल्चर ऑर्गनाइज़ेशन (एफएओ) ग्लोलिटर पार्टनर्शिप (जीएलपी) प्रोजेक्ट में अग्रणी भागीदार देशों में से एक है जिसका उद्देश्य समुद्री प्लास्टिक कूड़े की रोकथाम और कमी लाना और प्लास्टिक के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करना है। इस संबंध में समुद्र आधारित समुद्री प्लास्टिक कूड़े के प्रबंधन और रोकथाम के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित की गई है और इसे केरल सहित सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 2017 में सुचित्वा सागरम (स्वच्छ समुद्र) नामक एक महत्वाकांक्षी स्वच्छता अभियान शुरू किया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य समुद्र में प्लास्टिक कचरे के जमाव को कम करना है, इसके लिए समुद्र में प्लास्टिक कचरे की डंपिंग पर रोक लगाना और समुद्र में सभी प्रकार की प्लास्टिक सामग्री को हटाना या मछली पकड़ते समय जाल में फंसने वाली सामग्री को हटाना है ।

(घ) : मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार केरल में फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलीटीज को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। प्रमुख योजना, प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत, मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने केरल में फिशरीज़ इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलीटीज को मजबूत करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को मंजूरी दी है। स्वीकृत गतिविधियों में केरल में फिशिंग हार्बर के विस्तार, अपग्रेड़ेशन और आधुनिकीकरण, आइस प्लांट्स/कोल्ड स्ट्रोरेज का निर्माण, कुशल फिश ट्रांसपोर्टेशन यूनिट्स की खरीद, अत्याधुनिक होल सेल फिश मार्केट्स की स्थापना, रिटेल मार्केट्स की स्थापना, फिश कियोस्क, सटीक रोग संज्ञान के लिए रेफरल एवं रोग निदान गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्यन गांवों का विकास आदि शामिल है।

(ङ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न मात्स्यिकी विकास गतिविधियों के अंतर्गत मछुआरों का कल्याण मुख्य उद्देश्य रहा है। इस संबंध में, संचार उपकरणों के लिए सहायता प्रदान की जाती है, समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा के लिए ट्रांसपोंडर लगाए जा रहे हैं, तट के किनारे मात्स्यिकी के सस्टेनेबल विकास और प्रबंधन के लिए आर्टिफ़िश्यल रीफ़्स और रेंचिंग कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं, अन्य आवश्यकता आधारित सेवाओं के लिए, मत्स्य सेवा केंद्रों और सागर मित्रों के रूप में विस्तार सेवाओं को भी मंजूरी दी गई है। मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जलवायु और अन्य गंभीर जोखिम के बारे में समय-समय पर सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त, मत्स्यन पर प्रतिबंध अवधि के दौरान मछुआरों को आजीविका सहायता, पारंपरिक मछुआरों को नावें और जाल, कौशल विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी प्रदान किए जाते हैं।

*****